जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकःजविप्रा/उपा. जोन–08/2026/90A/SMA/JDA/2025-26/100423 **ई हस्ताक्षर**

प्रारूप 13

(नियम 13(2)देखिए)

लोक सूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क (8) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31.12.2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है। अतः उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके सहमति से मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है। उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चात्वर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरीत होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90–क (8) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है। अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क (8) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63(II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	खातेदार
ग्राम सुखिया तहसील सांगानेर	20 21 22 23 24 29/610 29/611 30/612	1.2500 0.0100 0.0400 0.3400 1.9500 0.0600 0.1500 0.0300	1. श्री सालासर ओवरसीज प्रा.लि. पंजीयन कार्यालय बी–14–15 हीरानगर, शिप्रापथ कार्नर,गंगा जमुना तिराहा, मानसरोवर, जयपुर हिस्सा–6/7 खातेदार 2. हनुमानसहाय पुत्र कल्याण हिस्सा– 1/14 जाति– माली सा. देह खातेदार 3. हीरालाल पुत्र कल्याण हिस्सा

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2026.01.06 18:39:48 IST
Reason: Approved

	कुल किता–8	**कुल रकबा–3.8300**	1/14 जाति– माली सा. देह खातेदार

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नम्बर 305, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित कार्यालय/न्यायालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय (3 से 5 बजे तक) में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा में प्रकरण में एकतरफा नियमानुसार कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि को पुर्नग्रहित किया जा सकेगा। सूचित रहें। नोटिस आज दिनांक यथा हस्ताक्षरित को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी,
जोन–8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त सूचना का दौ दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने का श्रम करावें।

प्राधिकृत अधिकारी,
जोन–8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2026.01.06 18:39:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19761794